भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2331

07.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास

2331 **श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अथवा क्लस्टर आधारित औद्योगिक पार्कों जैसी केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत चित्रकूट, देवीपाटन तथा झांसी जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान निवेश हेतु की है;

(ख) इन क्षेत्रों में समर्थ उद्योग अथवा मेक इन इंडिया पहलों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं, यदि कोई हों, की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण उत्तर प्रदेश में भारी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा रक्षा-संबद्ध विनिर्माण के लिए अवसंरचना एवं कौशल सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के साथ कोई समन्वय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय का आगामी पाँच वर्षीय निवेश चक्र में ऐसे जिलों पर लक्षित औद्योगिक विकास के लिए विचार करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 246 के अनुसार 'उद्योग' राज्य का विषय है। जहाँ तक भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) का संबंध है, मंत्रालय द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े ऐसे किसी जिले की पहचान नहीं की गई है। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना, विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना तथा आकार एवं पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ (इकोनॉमीज़ ऑफ़ साइज एंड स्केल) प्राप्त करना और भारतीय कंपनियों एवं विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। ये स्कीमें पूरे भारत में लागू हैं तथा निवेश के स्थान का चयन आवेदकों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है।

भारी उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों का कार्यान्वयन करता है, जिनके अंतर्गत अनुमोदित आवेदकों को अखिल भारतीय आधार पर अपनी पसंद के स्थान पर विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने की सुविधा प्रदान की गई हैः

(i) ऑटोमोबिल तथा ऑटो घटकों के लिए पीएलआई स्कीम।

(ii) भारत में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण हेतु पीएलआई स्कीम।

(iii) भारत में विद्युत यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने संबंधी स्कीम।

(iv) भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि संबंधी स्कीम (चरण-II)।

(v) सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने संबंधी स्कीम।

*****